तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
31.1.25	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट व अन्य काश्तकारों के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.02.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित किया। अपील के लम्बन के दौरान अपीलांट ने उपरोक्त खसरा नम्बर 284 की कृषि भूमि नरेन्द्र ललवानी, बबीता ललवानी, रवीना ललवानी और राहुल ललवानी निवासी सुमेरपुर को विक्रय कर दी है। उसका नामान्तरण भी राजस्व रेकर्ड में अंकित कर दिया है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का विक्रय कर दिये जाने से अपील का मकसद समाप्त हो गया है। अतः अपील खारिज फरमावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अपीलांट राम सिंह द्वारा आराजी का विक्रय किया जा चुका है। जिस कारण अपीलांट का कोई हित निहित नहीं है। हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन,से स्पष्ट है कि दौराने अपील विचारण अपीलांट ने अपनी खातेदारी भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख से न्यायालय हाजा के संज्ञान लाये बिना एवं न्यायालय हाजा से अनुमति प्राप्त किये बिना हस्तांतरण किया गया है। ऐसी स्थिति अपीलांट राम सिंह के अधिवक्ता द्वारा क्रेतागण की ओर से अधिकृत हुए बिना प्रकरण में किसी प्रकार की पैरवी नहीं की जा सकती, चूंकि प्रकरण में एकमात्र अपीलांट राम सिंह था। जो वर्तमान में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार नहीं रहा। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील इसी स्तर पर निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः प्रकरण में पूर्व पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 27.07.2018 को अपास्त करते हुए अपील अपीलांट निष्प्रभावी हो जाने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो एवं आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	